(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/अलीराजपुर/भूरा/2018/2259 विरूद्ध आदेश दिनांक 1-2-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 215/अपील/2014-15

———

नवाब अली पिता आजम अली
निवासी अलीराजपुर तहसील अलीराजपुर
जिला अलीराजपुर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
तहसील अलीराजपुर
जिला अलीराजपुर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, शास0अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-2-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 99 ग्राम भूरियाकुआं द्वारा तहसीलदार तहसील अलीराजपुर के समक्ष एक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया

कि आवेदक द्वारा ग्राम भूमियाकुआं की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 68 रकबा 0.75 हेक्टेयर पर फसल बोकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है । इस प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार तहसील अलीराजपुर द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करने के पश्चात पटवारी के कथन अंकित किये गये तथा प्रकरण में दिनांक 12-11-2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण सिद्ध पाते हुये रूपये 4,50,000/- अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-1-2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1-2-2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील न्यायालय द्वारा केवल पटवारी प्रतिवेदन व साक्ष्य के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड व बेदखली के आदेश पारित किये गये है तथा उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यथावत रखने में वैधानिक भूल की गई है ।

(2) संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण की कार्यवाही में सीमांकन कियाजाना तथा स्थल निरीक्षण किया जाना अतिक्रामक की उपस्थिति में आवश्यक है । उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर अर्थदण्ड एवं बेदखली के आदेश पारित किये है तथा उक्त आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में भूल की गई है।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा यह देखना चाहिये था कि राजस्व अभिलेखों में भूमि विकास परिषद के नाम अथवा मद में दर्ज है जबकि जनपद पंचायत के कार्यपालन यंत्री अलीराजपुर का स्पष्ट कथन है कि इस विभाग के द्वारा विकास परिषद को कोई भूमि वृक्षारोपण के लिये आवंटित नहीं की गई है और न ही उनकी कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत अतिक्रमण किये जाने की है इसके उपरांत भी तहसीलदार ने विकास परिषद के मद की जमीन पर अतिक्रमण को मानने में गंभीर भूल की है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता धारा 248 की कार्यवाही के अंतर्गत अतिक्रमण संबधी स्थान पर पटवारी द्वारा न ही मौका निरीक्षण किया गया और न ही कोई पंचनामा बनाया गया है इसके उपरांत भी संहिता की धारा 248 की कार्यवाही कर पूर्णरूप से उल्लघंन कर जो आदेश पारित किया है वह इसी आधार पर निरस्त योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों आवेदक को अपने साक्ष्यप्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुये जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित पाया गया है तथा उक्त शासकीय भूमि पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर फसल बोना स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-2-2018 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-2-2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर